2017/00222
2017/00223
2017/00224
2017/00225
2017/00226

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 61/2017 (उदयपुर डिक्री)

श्री गमा पिता धना जी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर(राज.),
2. श्री अरविन्द सिंह मेवाड़ आत्मज स्वर्गीय महाराणा श्री भगवत सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैलेस, उदयपुर प्रबन्धक न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट
3. श्रीमती विजयाराज कुमार जी धर्मपत्नी श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैलेस, उदयपुर न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट
4. श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आत्मज श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैलेस, उदयपुर न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 62/2017 (उदयपुर डिक्री)

श्री मांगीलाल पिता वेणा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर(राज.)
2. श्री अरविन्द सिंह मेवाड़ आत्मज स्वर्गीय महाराणा श्री भगवत सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैलेस, उदयपुर प्रबन्धक न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट
3. श्रीमती विजयाराज कुमार जी धर्मपत्नी श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैसेस, उदयपुर न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट
4. श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आत्मज श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैसेस, उदयपुर न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(3) प्रकरण संख्या 63/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री गमाना पिता धना जी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री देवा पिता तला जी डांगी मृतक के बजाय :–

2/1. श्री मांगकीलाल पिता स्वर्गीय देवा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्वर्गीय देवा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर(राज.)
2. श्री अरविन्द सिंह मेवाड़ आत्मज स्वर्गीय महाराणा श्री भगवत सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैलेस, उदयपुर प्रबन्धक न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट
3. श्रीमती विजयाराज कुमार जी धर्मपत्नी श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैसेस, उदयपुर न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट
4. श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आत्मज श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैसेस, उदयपुर न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(4) प्रकरण संख्या 64/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री ईश्या पिता मोती जी डांगी मृतक के बजाय :–

1/1. श्रीमती लोगरी पत्नी स्वर्गीय ईश्या जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. रूपलाल पिता स्वर्गीय ईश्या जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती केशी पुत्री स्वर्गीय ईश्या जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2. कना पिता मोती जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. कालू पिता डालू जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर(राज.)
2. श्री अरविन्द सिंह मेवाड़ आत्मज स्वर्गीय महाराणा श्री भगवत सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैलेस, उदयपुर प्रबन्धक न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट
3. श्रीमती विजयाराज कुमार जी धर्मपत्नी श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैसेस, उदयपुर न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट
4. श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आत्मज श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैसेस, उदयपुर न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(5) प्रकरण संख्या 65/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री माना पिता धूला जी डांगी मृतक के बजाय :–

1/1. श्रीमती लेहरी बाई पत्नी स्वर्गीय मेघा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. मेघा पिता स्वर्गीय माना जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर(राज.)
2. श्री अरविन्द सिंह मेवाड़ आत्मज स्वर्गीय महाराणा श्री भगवत सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैलेस, उदयपुर प्रबन्धक न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट
3. श्रीमती विजयाराज कुमार जी धर्मपत्नी श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैसेस, उदयपुर न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट
4. श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आत्मज श्री अरविन्द सिंह जी मेवाड़, निवासी सिटी पैसेस, उदयपुर न्यासी श्री एकलिंग जी ट्रस्ट

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 रा॰ का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा दिनांक 01.06.2017 प्रकरण सं. क्रमशः 386/13 222/15, 389/13, 390/13 एवं 537/13

———::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री कैलाश नागदा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रे. सं. 2 से 4

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 20–12–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सभी प्रकरणों के वादी/अपीलान्ट द्वारा सभी समान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू–प्रबन्ध पूर्व कतिपय आराजियात जो वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित है, वादीगण के पूर्वजों के नाम खड़मदारी में दर्ज थी तथा बन्दोबस्त के दौरान उक्त भूमियों से वादीगण का नाम हटाकर महादेव चन्द्रशेखरजी के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि इन भूमियों पर 70 वर्षो से अधिक समय से कब्जा वादीगण व उसके पूर्व उनके पूर्वजों का चला आ रहा है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती व लापरवाही से वादी का नाम हटाकर महादेवजी हर चन्देश्वरजी का नाम दर्ज कर दिया गया, जो वादी के मुकाबले अवैध व शून्य है। ऐसे इन्द्राज से पूर्व न तो वादी को सुना गया, न ही नोटिस दिया गया। कानूनन भू–प्रबन्ध विभाग को पुराने इन्द्राज को ही दोहराना होता है, जब तक कि इसके विपरीत न्यायालय की डिक्री न हो। अतएवं वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में सरकार की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दौराने कार्यवाही सरकार के अलावा अन्य प्रतिवादीगण द्वारा पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसकी निगरानी प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी स्वीकार कर सरकार के अलावा अन्य प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिनांक 31–08–2015 को दिया, जिस पर प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण को पक्षकार संस्थित किया गया।

प्रकरण में पक्षकार बनने के बाद प्रतिवादी एकलिंग ट्रस्ट की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि मंदिर महादेव जी हरचन्द्रेश्वर जी स्थान नोहरा देह भुवाणा की

निजी सम्पत्ति है, जिसकी देख–रेख, रख–रखाव श्री एकलिंग ट्रस्ट द्वारा की जाती है तथा उक्त मंदिर श्री एकलिंग ट्रस्ट के अधीन समाहित मंदिरों में से एक है। वादी के पूर्वज व वादी अल्प वयस्क मूर्ति की ओर से कृषि करते थे, वादी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा व अधिकार नहीं रहा एवं न ही वादी को अल्प वयस्क मूर्ति की भूमि के लिए वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार है। अल्प वयस्क मूर्ति की भूमि किसी भी व्यक्ति के नाम कानून दर्ज नहीं की जा सकती। इस कारण वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। विवादित भूमि अवाप्त होकर नगर विकास प्रन्यास के नाम आबादी में दर्ज है, जिससे विवादित भूमि का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं रहता है। वादी ने तथ्यों को छिपाते हुए क्लीन हैण्ड से यह वाद प्रस्तुत नहीं किया है। अतएवं वादी का वाद खारिज किया जावे।

उपरोक्त आवेदन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह जमीन ट्रस्ट की निजी सम्पत्ति नहीं है, न ही इस जमीन से ट्रस्ट का कोई सम्बन्ध है। भू–प्रबन्ध की गलती से वादी का नाम हटा दिये जाने से वाद प्रस्तुत किया गया है, लिहाजा ट्रस्ट को यह आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। मेवाड़ बन्दोबस्त के पूर्व से ही वादी के पूर्वज माफीदार रहे हैं, खड़म भी उनकी ही थी और खड़मदारी को खातेदारी के अधिकार प्राप्त रहते हैं इसी नाते जमीन खाते हुई। अगर भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज भी हो गयी है तो वह गलत दर्ज हुई है एवं वादी के मुकाबले शून्य है। वादी से उक्त भूमि का कभी कब्जा नहीं लिया गया, आज भी कब्जा वादी का ही चला आ रहा है। प्रतिवादी ट्रस्ट के अनुसार यदि भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो गई है तो इस बारे में नगर विकास प्रन्यास ही ऐतराज कर सकती है, ट्रस्ट का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। वादी द्वारा खातेदारी घोषणा चाही गयी है, जो राजस्व न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है। अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 01–06–2017 से प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का आवेदन आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर पांचों प्रकरणों के अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपीलें दिनांक 12–06–2017 को प्रस्तुत की गयी हैं।

उपरोक्त पॉचों प्रकरणों में सिर्फ अपीलान्टगण व आराजियात पृथक–पृथक हैं, जबकि रेस्पोन्डेन्टगण समान हैं तथा प्रकरण में विषय वस्तु

भी समान हैं। अतएवं पॉचों अपीलों का निस्तारण हम एक साथ करना उचित समझते हैं।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 4 की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई में केवल वाद के तथ्यों को ही देखा जाना होता है। वाद में कहीं पर भी यह जमीन आबादी में दर्ज हो इसका कोई उल्लेख नहीं है। जहां तक अवाप्ति का प्रश्न है, वैसे भी अवाप्ति की कार्यवाही कानूनन लेप्स हो चुकी है। इस सन्दर्भ में जवाबदावा आने पर शहादत से ही यह तय होगा कि किस प्रकार से यह कार्यवाही लेप्स हुई है। रेस्पोन्डेन्ट को अगर उक्त वाद के सन्दर्भ में कोई आपत्ति थी तो उन्हें जवाबदावा प्रस्तुत करना चाहिए था और तनकी बनाकर शहादत से ही इस वाद का निस्तारण किया जाना चाहिए।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि बकौल अपीलान्ट/वादी स्वयं भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उक्त भूमियां मंदिर के नाम दर्ज होना बताया है। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही वर्ष 1980–1990 के बीच हुई है। अर्थात करीब 20 वर्षो से अधिक समय से यह भूमि मंदिर के नाम दर्ज है। प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश दिनांक 18–03–1996 से विवादित भूमियां अवाप्त होकर अवाप्ति अधिकारी ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि भूमियां अवाप्त की जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम आबादी में इन्द्राज करें एवं इसकी पालना में विवादित

भूमियां नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हुई हैं, परन्तु आश्चर्य जनक रूप से वादी/अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों को छिपाकर अपना वाद सिर्फ सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है तथा चालू जमाबन्दी की नकल भी पेश नहीं की गयी है। प्रकरण में भूमियां स्पष्ट रूप से वाद दायरी वर्ष 2013 से 17 वर्ष पूर्व वर्ष 1996 में ही अवाप्त होकर नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो चुकी हैं, जिसे वादी/अपीलान्ट ने अपने वाद में छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है। वादी का यह कहना कि वादी खातेदारी घोषणा का वाद लेकर आया है, परन्तु खातेदारी घोषणा आबादी भूमियों के सम्बन्ध में चाही गयी है, जिसके लिए राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। यदि वादी/अपीलान्ट उक्त भूमियों में अपना हक अधिकार मानता है तो वह अधिकतम मुआवजा प्राप्त करने का ही अधिकारी होता है, जिसके लिए वह संबंधित न्यायालय में चाराजोही कर मुआवजा राशि प्राप्त कर सकता है।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 1431 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि अवाप्ति का नोटिस वाद दायरी से पूर्व जारी नहीं हुआ इसलिए राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहता है। यह नजीर इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में वाद दायरी के 17 वर्ष पूर्व ही भूमि अवाप्त होकर आबादी में दर्ज हो चुकी थी।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1394 प्रस्तुत की गयी है, जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है, क्योंकि यहां पर भूमियां पूर्व ही आबादी में दर्ज हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर डब्ल्यू.एल.सी. 2007 (1) पेज 559 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं, क्योंकि यह नजीर जाब्ता दीवानी की धारा 9, आदेश 13 नियम 1 व 2 तथा धारा 100 से संबंधित है, जो इस प्रकरण में विवाद ही नहीं है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 902 प्रस्तुत की गयी, जिसके तथ्य इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है, क्योंकि यहां भूमियां वाद दायरी के वर्षो पूर्व ही अवाप्त होकर आबादी में दर्ज हो चुकी थी।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर 2017 एस.सी.सी. (सिविल) पेज 336 प्रस्तुत की गयी, जो भी इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है,

क्योंकि उक्त नजीर वाद की प्लीडिंग्स के सन्दर्भ में है, परन्तु इस प्रकरण में वादी द्वारा वाद दायरी के वर्षो पूर्व भूमियां नगर विकास प्रन्यास के नाम आबादी में दर्ज होने के तथ्यों को छुपाया गया है।

इसके विपरीत वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1347 प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमियां पूर्व से आबादी में दर्ज हो चुकी है तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहता है, जो इस प्रकरण से सुसंगत है, क्योंकि यहां पर भी भूमियां पूर्व ही आबादी में दर्ज हो चुकी थी।

वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अन्य न्यायिक आर.आर.टी. 2005 (2) पेज 774 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवाप्ति आदेश को चुनौती दिये बिना राजस्व प्रविष्टियों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जो इस प्रकरण से सुसंगत है।

उपरोक्तानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उपरोक्त सभी अपीलों में वादी/अपीलान्ट द्वारा वाद दायरी से पूर्व भूमियां आबादी में दर्ज हो जाने के तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के सम्मुख नहीं आये हैं। भूमियां स्पष्ट रूप से वाद दायरी के 17 वर्ष पूर्व ही आबादी में दर्ज हो चुकी हैं, जिससे उक्त भूमियों के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादीगण का वाद विधि वर्जित मानकर खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। तद्नुसार उपरोक्त पॉचों अपील सारहीन होने खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–06–2017 यथावत रखी जाती हैं। डिक्री पृथक–पृथक जारी हो निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–12–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

गमा पिता धना जी, नि0 भुवाणा, तहसील गिर्वा, हाल बड़गांव जिला उदयपुर बनाम **राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**61 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....01**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह.....**12**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कैलाश नागदा**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**12**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मांगीलाल पिता वेणा जी डांगी, नि0 भुवाणा, तहसील गिर्वा, हाल बड़गांव जिला उदयपुर बनाम **राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**62 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....01**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह.....**12**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कैलाश नागदा**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**12**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

गमाना पिता धन्ना जी, नि. भुवाणा, तहसील गिर्वा, हाल बड़गांव जिला उदयपुर व अन्य बनाम **राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**63 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....01**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह.....**12**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कैलाश नागदा**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**12**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

ईश्या के बजाय श्रीमती लोगरी बाई बनाम **राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर**
पत्नी ईश्या जी डांगी, नि0 भुवाणा **व अन्य**
तहसील गिर्वा, हाल बड़गांव
जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**64 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....01**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह.....**.12**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री कैलाश नागदा**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**.12**.....**2018**
को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

माना के बजाय श्रीमती लेहरी बाई बनाम **राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर**
पत्नी मेघा जी डांगी, नि0 भुवाणा **व अन्य**
तहसील गिर्वा, हाल बड़गांव
जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**65 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....01**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह.....**12**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री कैलाश नागदा**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**12**.....**2018**
को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।